न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 137/2024

बुधाराम पुत्र धूडाराम व अन्य
बनाम
उम्मेदलाल पुत्र टीकूराम वगैरा

दिनांक 29.10.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर 75/2022 (2022/165) में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी –रेस्पो0–उम्मेदलाल पुत्र टीकूराम ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बालेसर स्थित ग्राम खुडियाला के ख0नं0 290, 377, 699 एवं 911 की खातेदारी भूमि की स्थाई सीमा चिन्हों से नाप पर पत्थरगढ़ी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, जो न्यायहित में स्वीकार का प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट तहसील बालेसर स्थित ग्राम खुडियाला के ख0नं0 292 व 376 का कब्जाकाश्त व खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खसरान की माठों पर पक्के मुटाम नही होने से खेतों की सीमा का ज्ञान नही है। इस कारण पडौसी खातेदारों से सीमा को लेकर विवाद रहता है। अतः स्थायी सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाने का आदेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

फरमावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविवादित सीमा ज्ञान रिपोर्ट मंगवाये बिना तथा पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। प्रार्थी के खसरा ख0नं0 290 व 377 की सीमाएं अपीलांट के ख0नं0 292 व 376 के पडौस में है। अपीलाधीन आदेश में पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाने में अत्यधिक विलंब होना दर्शाते हुए वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कर पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी का विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया है। इससे अपीलांट को जवाब एवं सुनवाई का अवसर नही मिला। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी–रेस्पो0 तहसील बालेसर स्थित ग्राम खुडियाला के ख0नं0 290, 377, 699 एवं 911 का खातेदार है। खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का हक रखता है। प्रार्थी के खसरान की माठों पर पक्के मुटाम नही होने से खेतों की सीमा का ज्ञान नही है। इस कारण पडौसी खातेदारों से सीमा को लेकर विवाद रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थायी सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर नियमानुसार वादग्रस्त खसरान की भूमि की पैमाईश कर पडौसी खातेदारों के रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने का आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.7.22 को प्रस्तुत हुआ। जिसमें एकमात्र अप्रार्थी–तहसीलदार बालेसर संयोजित किया गया। पत्रावली अप्रार्थी की तलबी हेतु दिनांक 1.11.22 तक लंबित रही। आदेशिका दिनांक 9.11.22 के अनुसाार अप्रार्थी अनुपस्थित, उनका जवाब बंद कर, बहस एकतरफा सुनकर निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि विधिअनुसार प्रकरण में पडौसी खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर उन्हें नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना तथा निर्विवाद सीमाज्ञान रिपोर्ट/तहसीलदार की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा राजस्व आवेदन/मुकदमा नम्बर 75/2022 (2022/165) में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितवद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक 29.10.2025** को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

29.10.25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर